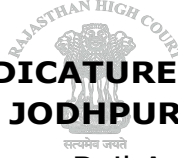




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2450/2026

Jagdish Singh S/o Sh. Khet Singh, Aged About 65 Years, R/o
Bhairunda, Police Station Thanwala, District Nagaur Rajasthan.
(At Present Lodged In Sub Jail Parbatsar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. DS Gharsana Mr. IS Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना थांवला जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में रकम मुस्तगीस द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को दिये जाने बाबत कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा चार्ज भी लगाये जा चुके हैं। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **जगदीश सिंह पुत्र खेतसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J